भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 978
दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

978. श्री जी.सेल्वम:
श्री धनुष एम. कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है;
(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसे कितने जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और उनसे क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है;
(घ) क्या सरकार ने देश में उक्त योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा/ मूल्यांकन किया है;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निष्कर्ष, कमियां हैं तथा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;और
(च) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, बीमार नवजात शिशुओं और बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में नि:शुल्क देखभाल सुनिश्चित कराने हेतु कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य सहित देश में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की गर्भवती महिलाओं सहित गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:

	जेएसएसके के तहत लाभान्वित गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या			
	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल से अक्टूबर)
भारत	15033749	15288954	18524521	6953429
तमिलनाडु राज्य	533348	546208	517981	248376

स्रोत: एचएमआईएस (स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली)

(ख) , **(ग) और (च)** भारत सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं, बीमार नवजात शिशुओं और बीमार शिशुओं को जन स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क परिचर्या सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं/पहलें की हैं:

i. योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए पत्रों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि सहित राज्य सरकारों के साथ कई चैनलों के माध्यम से संवाद करना।

ii. मास मीडिया/मिड मीडिया सहित सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संसूचना (बीसीसी) कार्यनीतियों के माध्यम से योजना को लोकप्रिय बनाना।

iii. जमीनी स्तर के लाभार्थियों के साथ एएनएम और आशाकर्मी जैसे क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पारस्परिक बातचीत

iv. जेएसएसके योजना के अंतर्गत नि:शुल्क परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में बजट का प्रावधान किया गया है।

v. यह सुनिश्चित करने के लिए कि गर्भवती महिलाओं, बीमार नवजात शिशुओं और बीमार शिशुओं को जेएसएसके के तहत जन स्वास्थ्य संस्थानों में नि:शुल्क परिचर्या प्राप्त हो,पूरे वर्ष नि:शुल्क दवाओं, निदान, आहार, रक्त और रेफरल परिवहन का प्रावधान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों को बजटीय अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ड़) सरकार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवधिक क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें और क्षेत्र दौरे करके जेएसएस के कार्यान्वयन की समीक्षा/मूल्यांकन करती है। जेएसएसके के शुभारंभ के बाद से, दस सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, जेएसएसके के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्यों और जिलों में नियमित सहायक पर्यवेक्षी दौरों की एक प्रणाली भी स्थापित की गई है।

****